भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या †46
06 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मत्स्यपालन हेतु निधियां

†46. श्रीमती नवनित रवि राणाः
श्री रमेश चन्द्र कौशिक:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और बिहार राज्यों के विशेषकर, क्रमशः अमरावती, सोनीपत, सिंहभूम और भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मत्स्यपालन क्षेत्र के पारिस्थितिकीय रूप से सुदृढ़ और सामाजिक रूप से समावेशी विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत मत्स्यपालन हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त राज्यों में प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादकता का राज्य-वार और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राज्यों में मछुआरों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं का राज्य-वार और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजनाओं के आरंभ से उपर्युक्त राज्यों को आवंटित निधियों का वर्ष-वार, राज्य-वार और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

6 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए संसद सदस्य श्रीमती नवनित रवि राणा और श्री रमेश चंद्र कौशिक द्वारा पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मत्स्यपालन हेतु निधियों के संबंध में पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या †46 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और बिहार सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मात्स्यिकी क्षेत्र के पारिस्थितिकीय रूप से सुदृढ़, सामाजिक रूप से समावेशी एवं समग्र विकास के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) लागू कर रहा है । विगत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष (अब तक) के दौरान, मत्स्यपालन विभाग ने इन चार राज्यों में 962.38 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ 2763.17 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय पर पीएमएमएसवाई के तहत विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को मंजूरी दी है । इन राज्यों को, विशेष रूप से अमरावती, सोनीपत, सिंहभूम और भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण अनुबंध-I, तालिका 1 और 2 में प्रस्तुत है । उपर्युक्त राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, इन राज्यों में प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादकता का राज्य-वार और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-I, तालिका-3 में दिया गया है ।

(ग): पीएमएमएसवाई में अन्य बातों के साथ-साथ मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता का प्रावधान है । इस घटक के अंतर्गत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध /लीन अवधि के दौरान तीन माह के लिए प्रति मछुआरे को 3000/- रुपए की दर से सहायता प्रदान की जाती है और इस राशि में लाभार्थियों का योगदान 1500/- रुपए होता है । बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने क्रमशः 50,000 और 2,000 मछुआरों के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध /लीन अवधि के दौरान मछुआरों के परिवारों को आजीविका और पोषण सहायता का लाभ लिया है, जबकि झारखंड और हरियाणा सरकार ने अब तक इस गतिविधि के लिए सहायता का लाभ नहीं लिया है ।

पीएमएमएसवाई मछुआरों को बीमा कवरेज भी प्रदान करती है, जिसमें मत्स्य श्रमिक, मत्स्य किसान और मत्स्यन और मात्स्यिकी से संबद्ध गतिविधियों की अन्य श्रेणियों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल व्यक्ति भी शामिल हैं । पीएमएमएसवाई के अंतर्गत प्रदान किए गए बीमा कवरेज में (i) आकस्मिक मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 5,00,000/-रुपए, (ii) स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 2,50,000/-रुपए और (iii) दुर्घटना की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने का 25,000/-रुपए का खर्च शामिल है। बिहार, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में पीएमएमएसवाई के तहत बीमाकृत मछुआरों की वार्षिक औसत संख्या क्रमशः 1.50 लाख, 1.65 लाख, 1214 और 1.00739 लाख है।

इसके अलावा, मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए, वर्ष 2018-19 में, भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा का विस्तार मछुआरों और मत्स्य किसानों तक किया ताकि उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें सहायता प्रदान की जा सके । इसके अलावा, सभी पात्र मछुआरों और मत्स्य किसानों को केसीसी सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिए, सभी तटीय राज्यों में सागर परिक्रमा यात्रा के दौरान विशेष केसीसी अभियान आयोजित किए गए और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) और वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रव्यापी अभियान भी शुरू किए गए हैं । अब तक, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मछुआरों और मत्स्य किसानों को 2068.57 करोड़ रुपए की ऋण राशि के साथ 1,82,903 केसीसी कार्ड जारी किए गए हैं । इसके अलावा बिहार, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में स्वीकृत केसीसी कार्डों की संख्या क्रमशः 828, 2015, 193 और 12204 है।

इसके अलावा, मछुआरों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के साथ-साथ पीएमएमएसवाई के तहत आजीविका और पोषण सहायता और समूह दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस) का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध -II में है।

(घ): पीएमएमएसवाई की शुरुआत से उपर्युक्त राज्यों को अनुमोदित परियोजनाओं का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-I, तालिका-1 और 2 में प्रस्तुत किया गया है ।

****

अनुबंध- I

6 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए संसद सदस्यों श्रीमती नवनित रवि राणा और श्री रमेश चंद्र कौशिक द्वारा पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मत्स्यपालन हेतु निधियां के संबंध में पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या †46 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

तालिका-1: विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उपर्युक्त राज्यों द्वारा पीएमएमएसवाई के तहत अनुमोदित वित्तीय परिव्यय का राज्य-वार विवरण :

(रुपये लाख में)

राज्यों के नाम	**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24(आज तक)**		**कुल**	
	परियोजना लागत	केंद्रीय अंश	परियोजना लागत	केंद्रीय अंश	परियोजना लागत	केंद्रीय अंश	परियोजना लागत	केंद्रीय अंश	परियोजना लागत	केंद्रीय अंश
बिहार	18333.00	5864.23	9016.50	2758.62	2780.00	809.59	21609.00	6294.27	**51738.50**	**15726.71**
झारखंड	10451.50	3237.00	12030.90	4009.87	8352.20	2900.74	9554.86	3416.39	**40389.46**	**13564.00**
हरियाणा	6306.50	1807.56	9692.50	3065.61	12323.25	4090.02	43988.00	16084.70	**72310.25**	**25047.89**
महाराष्ट्र	17483.80	6063.06	33481.10	12916.00	60232.54	22616.64	681.40	303.24	**111878.84**	**41898.94**
कुल	52574.80	16971.85	64221.00	22750.10	83687.99	30416.99	75833.26	26098.60	**276317.05**	**96237.54**

तालिका 2: अमरावती, सोनीपत , सिंहभूम और भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित वित्तीय परिव्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपये लाख में)

राज्यों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के नाम	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (31.12.2023 तक)**	**कुल निधि जारी की गई**
भागलपुर, बिहार	-	104.455	30.88	87.28	222.615
सिंहभूम, झारखंड	309.99	1086.25	473.55	674.55	2544.34
सोनीपत, हरियाणा	341.19	221.90	739.84	461.85	1764.78
अमरावती, महाराष्ट्र	475.19	320.15	452.75	0.00	1248.09

तालिका-3: उपरोक्त राज्यों में प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादकता का राज्य-वार और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार विवरण:

राज्यों के नाम	**औसत मत्स्य उत्पादकता (टन/हेक्टेयर)**	**राज्यों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के नाम**	**औसत मत्स्य उत्पादकता (टन/हेक्टेयर)**
बिहार	2.85	भागलपुर, बिहार	2.62
झारखंड	2.90	सिंहभूम, झारखंड	2.90
हरियाणा	9.70	सोनीपत, हरियाणा	11.9
महाराष्ट्र	3.55	अमरावती, महाराष्ट्र	6.0

अनुबंध- II

6 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए संसद सदस्यों श्रीमती नवनित रवि राणा और श्री रमेश चंद्र कौशिक द्वारा पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मत्स्यपालन हेतु निधियां के संबंध में पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या †46 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(संख्या में)

राज्य और उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	समूह दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस)	आजीविका और पोषण सहायता	केसीसी
बिहार	1,50,000	50,000	828
भागलपुर	4222	746	4
झारखंड	1,65,000	0	2015
सिंहभूम	16020	0	12
हरियाणा	1214	0	193
सोनीपत	278	0	18
महाराष्ट्र	1.00739	2000	12204
अमरावती	1616	0	588

*****